न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सामनाथ,आई.ए.एस

मुकदमा नम्बर 10/2017 राजस्व वाद

उनवान

1— श्री भंवर लाल पिता कल्याणमल जाति लढा (महाजन) निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

—— वादी

1— श्री भंवर सिंह पिता विजय सिंह राजपूत निवासी निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।

2— श्री अर्जुन सिंह पिता विजय सिंह राजपूत निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।

3— श्री गणपत सिंह पिता विजय सिंह राजपूत निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।

4— श्रीमति प्रेमकंवर पुत्री विजय सिंह राजपूत निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।

5— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 आरटीए

निर्णय

दिनांक 16.04.2024

उपस्थितः—

वादी की ओर से अधिवक्ता मांगीलाल सेन

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जे कास्त व स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजियात ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तह0 भीलवाडा में खाता संख्या 847 आराजी 1994 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 01 रकबा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 1446 मी0 रकबा 03 तीन बिस्वा भूमि थी जों कि वादी एवं वादी के पूर्वजों के नाम पर थी उक्त भूमि के सेटलमेंट के पश्चात नये नम्बर 1994 उन्नीस सो चोरानवे व 1995 उन्नीस सो पिच्चानवे कायम हुऐ उक्त साबिक आराजी से नम्बर 1446 चवदह सेा छियालिस रकबा 03 तीन बिस्वा भूमि में से 01 एक बिस्वा भूमि का विक्रय वादी भंवरलाल लढा द्वारा दिनांक 05.02.1969 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पूर्वज श्री विजय सिंह पिता बाघसिंह राजपूत को विक्रय कर दी शेष 02 बिस्वा भूमि वादी के नाम पर रही। सेटलमेंट दौरान प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पूर्वज श्री विजय सिंह पिता बाधसिंह के नाम पर नामान्तकरण स्वीकृत हुआ किन्तु सेटलमेंट के पश्चात प्रथम जमाबंदी उसमें वर्तमान आराजी नम्बर 1994 रकबा 02 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के पूर्वज श्री विजयसिंह पिता बाघसिंह राजपूत के नाम पर दर्ज कर दी वादी के नाम पर आराजी नम्बर 1995 रकबा 01 बिस्वा भूमि दर्ज ही दर्ज रही जबकि वादी के खातें मे 02 बिस्वा भूमि दर्ज रहनी चाहिए थी। उसके बजाय वादी के नाम पर आराजी नम्बर 1995 रकबा 01 बिस्वा भूमि ही दर्ज है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के पूर्वज श्री विजय सिंह पिता बाघसिह राजपूत के नाम पर 01 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर 1994 में अधिक दर्ज है, जिसे वादी प्रतिवादीगण के खाते से रकबा 01 बिस्वा भूमि कम करवा राजस्व रिकॉर्ड मे दुरस्ती करवाने का अधिकारी है ।

वाद पत्र में वर्णित भूमि आराजी नम्बर 1994 में वादी की 01 बिस्वा भूमि मिली हुई है क्योंकि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज श्री विजय सिंह पिता बाघसिंह राजपूत को 1 बिस्वा भूमि ही विक्रय की थी किन्तु रोटेसन की प्रथम जमाबंदी सेटलमेंट के पश्चात बनाई उसमें 02 बिस्वा भूमि आराजी न0 1994 रकबा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के पूर्वज श्री विजयसिंह पिता बाघसिंह राजपूत के नाम पर दर्ज कर दी, वादी के नाम पर आराजी नम्बर 1995 रकबा 01 बिस्वा भूमि ही दर्ज कर दी जबकि वादी के खाते में 2

Ahad

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

बिस्वा भूमि दर्ज रहनी चाहिए थी। जिसे वादी प्रतिवादीगण के खाते से रकबा 01 बिस्वा भूमि कम करवा अपने नाम पर दर्ज करवा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्थी करवाने का अधिकारी है। उक्त इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 04 मृतक विजयसिंह पिता बाघसिह के विधिक वारीस है इसलिए इन्हे पक्षकार बनाया गया है।

वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 1994 रकबा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम अंकित है जिसमें वादी की 01 बिस्वा भूमि सेटलमेंट के पश्चात जो प्रथम जमाबंदी बनाई उसमें इन्द्राज करते समय गलती से वादी की 1 बिस्वा भूमि का गलत अंकन किया है जिसकी जानकारी वादी के खाते में दर्ज भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी दिनांक 21.06.2016 को कराया तो जानकारी मिली व समस्त पुराना रिकॉर्ड प्राप्त कर इन्द्राज दुरस्थी हेतु निवेदन हाल ही में प्रतिवादीगण को दिनांक 30.11.2016 को किया किन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अतः वाद को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक है, अतः वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह वाद दिनांक 30.11.2016 से उत्पन्न होकर जारी है प्रस्तुत वाद घौषणात्मक वाद है जिसमें राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा भू–धारक होने से इन्हे औपचारिक पक्षकार बनाया है,इनके विरूद्ध कोई अनुतोष अपेक्षित नही है। वादी प्रतिवादीगण के खाते से रकबा 01 बिस्वा भूमि कम करवा अपने नाम पर दर्ज करवा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी के सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से दिनांक 16.4.2018 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई, बहस के दौरान वकील वादी ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तह0 भीलवाडा के खाता संख्या 847 आराजी 1994 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 01 रकबा 02 बिस्वा के साबिक आराजी नम्बर 1446 मी0 रकबा 03 बिस्वा भूमि थी जो कि वादी एवं वादी के पूर्वजों के नाम पर थी उक्त भूमि के सेटलमेंट के पश्चात नये नम्बर 1994 व 1995 कायम हुये उक्त साबिक आराजी नम्बर 1446 रकबा 03 तीन बिस्वा भूमि मे से 01 बिस्वा भूमि का विक्रय वादी भंवरलाल लढा द्वारा दिनांक 05.02.1969 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पूर्वज श्री विजय सिंह पिता बाघसिंह राजपूत को विक्रय कर दी शेष 02 बिस्वा भूमि वादी के नाम पर रही। सेटलमेंट दौरान प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पूर्वज श्री विजय सिंह पिता बाघसिंह के नाम पर नामान्तकरण स्वीकृत हुआ किन्तु सेंटलमेंट के पश्चात जो प्रथम जमाबंदी उसमें वर्तमान आराजी नम्बर 1994 रकबा 02 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पूर्वज श्री विजयसिंह पिता बाघसिंह राजपूत के नाम पर दर्जकर दी वादी के खाते में 02 बिस्वा भूमि दर्ज रहनी चाहिए थी। उसके बजाय वादी के नाम पर आराजी न0 1995 रकबा 01 बिस्वा भूमि ही दर्ज है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के पूर्वज श्री विजय सिंह पिता बाघसिंह राजपूत के नाम पर 01 बिस्वा भूमि आराजी न0 1994 में अधिक दर्ज हैं, जिसे वादी प्रतिवादीगण के खाते से रकबा 01 बिस्वा भूमि कम करवा राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज करवाई जावें एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी कराये जाये कि आराजी न0 1994 रकबा 2 बिस्वा में से एक बिस्वा भूमि को खुर्द–बुर्द कर अन्य व्यक्ति को अन्तरण नहीं करें।

वादी के वादपत्र का अध्ययन किया गया एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य का भलीभांति परीक्षण किया गया वादग्रस्त ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तह0 भीलवाडा के आराजी न0 1446 रकबा 03 बिस्वा भूमि भंवर लाल वल्द गणेशलाल लढा निवासी कोदूकोटा के नाम दर्ज थी, आराजी न0 1446 में से 01 बिस्वा भूमि 200 रूपये में विजयसिंह वल्द बाघसिंह राजपूत निवासी कोदूकोटा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 से विक्रय की गई जिसका पंजीयन दिनाक 06.02.1969 को कराया गया। वादी ने हाल आराजी न0 1995 रकबा एक बिस्वा के बजाय 2 बिस्वा भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया है, वादी ने साबिक आराजी न0 1446 रकबा 3 बिस्वा में से 01 बिस्वा प्रतिवादीगण के पिता को विक्रय की गई लेकिन सेटलमेंट के पश्चात हाल आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न0 1994 में 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम गलत दर्ज कर दी गई, जबकि वादी के नाम साबिक आराजी न0 1446 रकबा 3 बिस्वा के हाल आराजी न0 1995 में रकबा 2 बिस्वा के बजाय 01 बिस्वा भूमि दर्ज कर दिया गया। वादी ने अपने वाद को सिद्ध कराने के लिए ग्राम कोदूकोटा के साबिक आराजी न0 1446 रकबा 3 बिस्वा भूमि की जमाबंदी संलग्न नही की गई। इसके साथ ही साबिक आराजी न0 1446 रकबा 3 बिस्वा भूमि में से 01 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पिता कों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.2.1969 के द्वारा इन्द्राज होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.1969 पंजीयन होने के बाद दिनांक 20.12.2016 को यानी 46 वर्ष पश्चात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है जो परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 56 के अन्तर्गत पोषणीय नही है तथा वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में भी स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतएव

आदेश

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 आरटीए का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 06.02.1969 के आधार पर दिनांक 20.12.2016 को यानी 46 वर्ष पश्चात वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया जो परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 56 के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से एवं वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें तदानुसार डिक्री जारी करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा